

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(11)

फर्द अहकाम

मु० नं० 25

दि० 31-7-13

शम लाल पुत्र कीरबल मीन को०
नि० मान्गोज - वाडी/सायल

वपनाम

अजय 110 भाग चम को मीन

नि० मान्गोज - प्राईवाडीगव

जोर सायलान

प्राप्त अस्थाई निर्णयदाता

अ.नं० सायलान की ओर से यह

प्राथमिक अस्थाई निर्णयदाता

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा छद्मे

पेश किया। रिपोर्ट की जा रही

सायल वकील को सुना गया।

उभय को जरिये अस्थाई निर्णयदाता

भागमी सुनवाई तक अंतरिम रूप

से पावन किया जाता है कि

ग्राम मान्गोज की बाराजी बार्म

ख० नं० 150 की मोका व रिपोर्ट

की यथास्थिति बनाये रखें।

द्वारा शर्मा को जोर सायलान को

तलब किया जाये। दि 4-8-13

को पेश हो

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

2052-57
31-7-13

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

कैसे पहले ही पथि सत्रय दिया हुआ है
डाब डालिम मोका देका विदायल की जाती
है कि आगामी सुनवाडे रिची पर जबस
पेश नही लिपा तो जबस बंद का दिश
जायेगा / कस्ते जबस दि० ५-५-१५ को
पेश हो

५/१५

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी, कोर्ट कर्नाली
हे। गतानुसार दिनांक १-१०-१५ को पेश हो

११/१५

पत्तावली पेश हुई। प्रार्थी वकील
उपस्थित नहीं। बार, बार भाषाजि
डिहाई गई। इसके उपरांत भी
कोई उपस्थित नहीं। इसलिए प्रार्थी
पत्त भंडम पेश की भंडम डालिरी में
स्वादिजा किया जाता है। पत्तावली
पेश करुआर डे कस्का से कम
की जाफ़ डखिल डफ़र हो

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कर्नाली)